R.No. MAHHIN/2004/14131
Regd. No. MH/MR/South-29/2009-11

मासिक शुल्क : 1 रुपया मात्र

खण्ड VI ◆ अंक 10
अप्रैल 2010

मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

नीति

आधार दर पर दिशानिर्देश

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को सूचित किया है कि वे विद्यमान बेंचमार्क मूल उधार दर (बीपीएलआर) प्रणाली के बदले 1 जुलाई 2010 से आधार दर की नई प्रणाली लागू करें। इस आधार दर की मुख्य-मुख्य बातें निम्न प्रकार हैं:

- आधार दर में उधार दरों के वे सब तत्व होंगे जो उधारकर्ताओं के सभी संवर्गों में सर्वसामान्य हैं। बैंक किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए आधार दर निर्धारित करने के लिए कोई भी बेंचमार्क तय कर सकते हैं। बैंक कोई और पद्धति अपनाने के लिए स्वतंत्र हैं, बशर्ते वह सुसंगत हो और आवश्यकता पड़ने पर पर्यवेक्षीय समीक्षा/जांच के लिए उपलब्ध हो।
- बैंक ऋणों और अग्रिमों के संबंध में अपनी वास्तविक उधार दरों का निर्धारण आधार दर को संदर्भ मानते हुए तथा यथोपयुक्त अन्य ग्राहक - विशेष प्रभारों को शामिल करते हुए कर सकते हैं। प्रभारित वास्तविक ऋण दरें पारदर्शी और सुसंगत हों तथा आवश्यकता पड़ने पर पर्यवेक्षीय समीक्षा/जांच के लिए उपलब्ध हों।
- आधार दर की गणना की प्रणाली सुस्थिर होने तक बैंकों को कुछ समय देने के लिए बैंकों को अनुमति दी जाती है कि आरंभिक छह महीने की अवधि अर्थात् दिसंबर 2010 तक किसी भी समय वे बेंचमार्क और क्रियाविधि में परिवर्तन कर सकते हैं।
- सभी प्रकार के ऋणों की ब्याज दरें अब से आधार दर के संदर्भ में निर्धारित की जानी चाहिए। तथापि, निम्नलिखित ऋण संवर्गों की ब्याज दरें आधार दर के संदर्भ के बिना तय की जा सकती हैं : (क) डीआरआई अग्रिम (ख) बैंक के अपने कर्मचारियों को ऋण (ग) बैंकों के जमाकर्ताओं को उनकी जमाराशि की प्रतिभूति पर ऋण।
- अस्थिर दर वाले ऋण उत्पादों के लिए बाह्य बाजार बेंचमार्क दरों के अलावा आधार दर भी संदर्भ बेंचमार्क दर हो सकती है। तथापि बाह्य बेंचमार्क पर आधारित अस्थिर ब्याज दर मंजूरी या नवीकरण के समय की आधार दर के बराबर या उससे अधिक होनी चाहिए।
- आधार दर में परिवर्तन बिना किसी भेदभाव के पारदर्शी तरीके से आधार दर से जुड़े सभी वर्तमान ऋणों पर लागू होगा।
- चूंकि आधार दर सभी ऋणों के लिए न्यूनतम दर होगी, बैंकों को आधार दर से कम में उधार देने की अनुमति नहीं है। तदनुसार, 2 लाख रुपये तक के ऋणों के लिए उच्चतम दर के रूप में बीपीएलआर की वर्तमान व्यवस्था समाप्त की जा रही है।
- बैंकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे तिमाही में कम-से-कम एक बार बैंक की प्रथा के अनुसार, बोर्ड या आस्ति देयता प्रबंध समिति (एएलसीओ) के अनुमोदन से आधार दर की समीक्षा करें। चूंकि उधार उत्पादों के ब्याज निर्धारण की पारदर्शिता एक प्रमुख लक्ष्य है, बैंकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी आधार दर के संबंध में सूचना अपनी सभी शाखाओं तथा वेबसाइट पर प्रदर्शित करें। आधार दर में परिवर्तन की सूचना भी समय-समय पर समुचित माध्यमों से सामान्य जनता को दी जानी चाहिए । बैंकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे पहले की तरह ही तिमाही आधार पर रिज़र्व बैंक को वास्तविक न्यूनतम और उच्चतम उधार दरों की सूचना देते रहें।
- आधार दर प्रणाली सभी नये ऋणों पर और पुराने ऋणों के नवीकरण पर लागू होगी । बीपीएलआर प्रणाली पर आधारित वर्तमान ऋण परिपक्वता तक जारी रह सकते हैं । यदि वर्तमान उधारकर्ता वर्तमान संविदा की समाप्ति के पहले नई प्रणाली अपनाना चाहें तो परस्पर सहमत शर्तों पर उन्हें यह विकल्प प्रदान किया जा सकता है । तथापि, बैंकों को इस बदलाव के लिए कोई शुल्क नहीं लगाना चाहिए।

विषय सूची

	पृष्ठ
नीति	
आधार दर पर दिशानिर्देश	1
विवेकपूर्ण मानदंड - कार्यान्वयन के अधीन परियोजनाएं	2
सूक्ष्म और लघु उद्यमों को अग्रिम	2
अपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी) दिशानिर्देश	3
फेमा	
विदेशी संस्थागत निवेशक	3
विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉण्ड (एफसीसीबी)	3
समुद्रपारीय निवेश	3
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	
एसएलआर प्रतिभूतियों में निवेश	3
चेक संग्रहण नीति	3
2010-11 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य	4

- भारतीय रिज़र्व बैंक निर्यात ऋण के लिए प्रावधान की अलग से घोषणा करेगा ।

यह स्मरण होगा कि आधार दर की प्रणाली पर प्रारूप दिशानिर्देश फरवरी 2010 में ज़िर्व बैंक की वेबसाइट पर डाले गए थे। प्राप्त प्रतिसूचनाओं/सुझावों पर विचार करने के बाद अंतिम दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। यह आशा की जाती है कि आधार दर प्रणाली का कार्यान्वयन बैंकों की ऋण दरों में पारदर्शिता को बढ़ाएगा तथा इससे मौद्रिक नीति के संचालन का बेहतर आकलन भी हो सकेगा।

विवेकपूर्ण मानदंड - कार्यान्वयन के अधीन परियोजनाएं

अग्रिमों से संबंधित आय निर्धारण और आस्ति वर्गीकरण (आइआरएसी मानदंडों) तथा प्रावधानीकरण पर विद्यमान विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार मानक आस्ति वर्गीकरण बनाए रखने के प्रयोजन से औद्योगिक परियोजनाओं के लिए परियोजना के पूरा होने की मूल तिथि के बाद वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के मामले में दो वर्ष तथा औद्योगिक परियोजानाओं के मामले में छः महीने की छूट अवधि उपलब्ध है। प्रवर्तकों के नियंत्रण से बाहर कई कारणों से परियोजनाओं के पूरा होने में विलंब होने के आशय से प्राप्त कई अभ्यावेदनों की दृष्टि से रिज़र्व बैंक ने परियोजना ऋणों के लिए आय निर्धारण और आस्ति वर्गीकरण (आइएआरसी) मानदंडों को संशोधित करने का निर्णय लिया है। संशोधित दिशानिर्देशों की कुछ मुख्य-मुख्य बातें निम्न प्रकार हैं:

I. यदि 'मानक आस्ति' के रूप में वर्गीकृत किसी इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजना ऋण को वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ करने की मूल तिथि (डीसीसीओ) से दो वर्ष के भीतर पुनर्रचित किया जाता है तो उसे मानक आस्ति के रूप में बनाए रखा जा सकता है यदि खाते में ब्याज का भुगतान पुनर्रचित शर्तों के अनुसार जारी है तथा वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ करने की नयी तिथि निम्नलिखित सीमाओं के भीतर निर्धारित की जाती है :

(क) यदि उत्पादन प्रारंभ करने की तिथि में बढ़ोतरी का कारण मध्यस्थता संबंधी कार्यवाही अथवा न्यायिक मामला हो तो अगले 2 वर्ष तक की समय सीमा में 2 वर्ष की मौजूदा वृद्धि के बाद अर्थात् कुल 4 वर्ष की समय वृद्धि।

(ख) न्यायिक मामलों से इतर मामलों में 1 वर्ष तक की समय सीमा में 2 वर्ष की मौजूदा बढ़ोतरी के बाद 1 वर्ष अर्थात् कुल 3 वर्ष की समय वृद्धि।

II. पुनर्रचना के लिए आवेदन वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ करने की मूल तिथि से दो वर्ष की समय सीमा समाप्त होने से पहले प्राप्त किया गया हो और खाता वसूली के रिकॉर्ड के अनुसार अभी भी मानक बना हुआ हो । इस पर लागू अन्य शर्तें इस प्रकार होंगी:

(क) जिन मामलों में ब्याज के भुगतान के लिए अधिस्थगन लगाया गया हो उनमें बैंकों को वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ करने की मूल तिथि से दो वर्ष से अधिक समय के बाद उपचित आधार पर आय दर्ज नहीं करनी चाहिए ।

(ख) बैंकों को ऐसे खातों के लिए जब तक उन्हें मानक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत रखा जाता है, वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ होने की मूल तिथि से दो वर्ष तक 0.40% तथा वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ होने के बाद तीसरे एवं चौथे वर्ष के दौरान 1.00% का प्रावधान बनाए रखना चाहिए।

III. गैर-इंफ्रास्ट्रक्चर परियोयजनाओं के मामले में यदि वाणिज्यिक परिचालनों को प्रारंभ करने में विलंब वित्तीय क्लोजर के समय तयशुदा परियोजना समाप्त करने की तिथि से छः महीने से अधिक होता है तो बैंक वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ करने की नयी तिथि तय कर सकते हैं बशर्ते वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ करने की नयी तिथि वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ करने की मूल तिथि से बारह महीने की अवधि से अधिक न हो । इस पर लागू अन्य शर्तें इस प्रकार होंगी:

(क) जिन मामलों में ब्याज के भुगतान के लिए अधिस्थगन लगाया गया हो उनमें बैंकों को वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ करने की मूल तिथि से दो वर्ष से अधिक समय के बाद उपचित आधार पर आय दर्ज नहीं करनी चाहिए।

(ख) बैंकों को ऐसे खातों के लिए जब तक कि उन्हें मानक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत रखा जाता है, वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ होने की मूल तिथि से छः महीने तक 0.40% तथा अगले छः महीने के दौरान 1.00% प्रावधान बनाए रखना चाहिए।

IV. परियोजना के दायरे एवं आकार में वृद्धि के कारण परियोजना के परिव्यय में वृद्धि के परिणामस्वरूप किसी परियोजना ऋण के चुकौती कार्यक्रम में किसी परिवर्तन को पुनर्रचना नहीं माना जाएगा यदि :

(क) परियोजना के दायरे और आकार में वृद्धि मौजूदा परियोजना का वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ होने से पहले होती है ।

(ख) मूल परियोजना की परिकल्पित लागत में किसी प्रकार की बढ़ोतरी को छोड़कर लागत में अन्य वृद्धि मूल परिव्यय के 25% अथवा उससे अधिक है ।

(ग) बैंक परियोजना के दायरे में वृद्धि को अनुमोदित तथा वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ करने की नयी तिथि निर्धारित करने से पहले परियोजना की व्यावहारिकता का पुनर्मूल्यांकन करता है।

(घ) पुनः रेटिंग के उपरांत (यदि पहले रेटिंग की गयी हो) नयी रेटिंग पिछली रेटिंग से एक से अधिक श्रेणी कम न हो।

तथापि, ये दिशानिर्देश वाणिज्यिक भू-संपदा एक्सपोज़र, पूँजी बाजार एक्सपोज़र तथा उपभोक्ता एवं वैयक्तिक अग्रिमों के रूप में वर्गीकृत अग्रिमों की पुनर्रचना पर लागू नहीं होंगे जिन पर आय निर्धारण और आस्ति वर्गीकरण मानदंडों में विद्यमान प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई जारी रहेगी। परियोजना ऋण का अर्थ कोई भी मीयादी ऋण है जिसे किसी आर्थिक उद्यम की स्थापना के प्रयोजन से प्रदान किया गया है। बैंकों को ऋण/वित्तीय क्लोज़र की संस्वीकृति देने के समय सभी परियोजना ऋणों के लिए वाणिज्यिक परिचालन आरंभ करने की तारीख (डीसीसीओ) अवश्य निर्धारित करनी चाहिए।

सूक्ष्म और लघु उद्यमों को अग्रिम

विद्यमान नीति के अनुसार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमइडी) अधिनियम 2006 के अंतर्गत यथापरिभाषित सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसइ) को बैंकों द्वारा संस्वीकृत वित्त प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकरण के लिए पात्र हैं। रिज़र्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि निर्यात में शामिल सूक्ष्म और लघु उद्यमों (विनिर्माता और सेवाओं) को वाणिज्यिक बैंकों द्वारा संस्वीकृत ऋण भी प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकरण के लिए प्राप्त होंगे बशर्ते ऐसे उद्यम इस बात से निरपेक्ष हों कि उधारकर्ता संस्था निर्यात अथवा अन्य प्रकार की गतिविधियों में शामिल हैं; सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमइडी) अधिनियम में यथानिहित सूक्ष्म और लघु उद्यम क्षेत्र की परिभाषा को पूरा करते हैं। कुछ वाणिज्यिक बैंकों ने प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत निर्यातों में शामिल सूक्ष्म और लघु उद्यमों को संस्वीकृत ऋणों के वर्गीकरण के संबंध में स्पष्टीकरण की माँग की है।

अपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी) दिशानिर्देश

स्पष्टता के लिए रिज़र्व बैंक ने मालिकाना प्रतिष्ठानों के खाते खोलने के लिए ग्राहक की पहचान-प्रक्रिया हेतु मानदंड निर्धारित किए हैं। तदनुसार, स्वत्वधारी पर लागू ग्राहक पहचान प्रक्रिया संबंधी मौजूदा दिशानिर्देशों का अनुपालन करने के अलावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मालिकाना प्रतिष्ठान के नाम से खाते खोलने से पहले निम्नलिखित दस्तावेजों की माँग करनी चाहिए तथा उनका सत्यापन करना चाहिए:

i) नाम का प्रमाण, प्रतिष्ठान का पता तथा गतिविधियाँ जैसे पंजीकरण प्रमाणपत्र (पंजीकृत प्रतिष्ठान के मामले में), दुकान और स्थापना अधिनियम के अंतर्गत नगरपालिका प्राधिकारियों द्वारा जारी प्रमाणपत्र/लाइसेंस, बिक्री और आयकर रिटर्न, केंद्रीय बिक्री कर (सीएसटी)/मूल्य योजित कर (वैट) प्रमाणपत्र, बिक्री कर/सेवा कर/व्यावसायिक कर प्राधिकारियों द्वारा जारी प्रमाणपत्र/पंजीकरण दस्तावेज, पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा जारी लाइसेंस जैसे भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान, इंस्टिट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान, इंडियन मेडिकल कौंसिल, खाद्य और औषधि नियंत्रण प्राधिकारी आदि द्वारा जारी व्यवसाय प्रमाणपत्र।

ii) उपर्युक्त में से कोई दो दस्तावेज़ पर्याप्त होंगे। दस्तावेज मालिकाना प्रतिष्ठान के नाम से होने चाहिए।

ये दिशानिर्देश सभी नए ग्राहकों पर लागू होंगे जबकि मौजूदा ग्राहकों के खातें के मामले में उपर्युक्त औपचारिकताएं समयबद्ध रीति से 31 दिसंबर 2010 से पहले पूरी की जानी चाहिए।

फेमा

विदेशी संस्थागत निवेशक

विद्यमान मानदण्डों के अनुसार विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआइआइ) को अनुमति दी गई है कि वे नकदी तथा एएए रेटिंगवाली विदेशी सर्वोत्तम प्रतिभूतियों को अपने व्युत्पन्नी खण्ड में लेनदेन के लिए भारत में मान्यताप्राप्त शेयर बाज़ारों को संपार्श्विक रूप में प्रस्तुत करें। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के विद्यमान मानदण्डों के अनुसार विदेशी संस्थागत निवेशकों से यह भी अपेक्षित है कि वे बाज़ार के नकदी खण्ड में अपने लेनदेन के लिए संपार्श्विकताएं दर्ज करें। रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार और सेबी के परामर्श से यह निर्णय लिया है कि विदेशी संस्थागत निवेशकों को बाज़ार के नकदी खण्ड में उनके लेनदेन के लिए नकदी के अतिरिक्त भारत में मान्यताप्राप्त शेयर बाज़ारों को संपार्श्विक के रूप में घरेलू सरकारी प्रतिभूतियाँ (वर्तमान सीमा 5 बिलियन अमरीकी डॉलर) तथा एएए रेटिंग वाली विदेशी सर्वोत्तम प्रतिभूतियाँ प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए। तथापि, भारतीय प्रतिभूतियों की (बाज़ार के नकदी खण्ड में विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा अपने लेनदेन के लिए मार्जिन के रूप में रखी गई) बाज़ार के नकदी और व्युत्पन्नी खण्ड के बीच क्रॉस मार्जिनिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस संबंध में परिचालनात्मक दिशानिर्देश सेबी द्वारा अलग से जारी किए जाएंगे। व्युत्पन्नी खण्ड में विदेशी संस्थागत निवेशक लेनदेन के लिए संपार्श्विकता पर विद्यमान दिशानिर्देशों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉण्ड (एफसीसीबी)

रिज़र्व बैंक ने यह निर्णय लिया है कि विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉण्डों (एफसीसीबी) की पुनर्खरीद/चुकौती की सभी शर्तों का पालन करनेवाले निर्गमकर्ताओं के अधीन 30 जून 2010 तक अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉण्डों (एफसीसीबी) की पुनर्खरीद के लिए आवेदनों पर विचार किया जाए। शर्तों का पालन करनेवाले आवेदनों को समर्थित दस्तावेजों के साथ रिज़र्व बैंक को पदनामित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाए। यह स्मरण होगा कि भारतीय कंपनियों को 31 दिसंबर 2009 तक स्वचालित और अनुमोदन दोनों मार्गों के अंतर्गत स्वयं के द्वारा जारी विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉण्डों (एफसीसीबी) की पुनर्खरीद की अनुमति दी गई थी और यह पुनर्खरीद योजना 1 जनवरी 2010 से बंद कर दी गई थी। अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत वर्तमान विस्तार विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉण्डों (एफसीसीबी) निर्गमकर्ताओं द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों की दृष्टि से किया गया है।

समुद्रपारीय निवेश

समुद्रपारीय निवेशों में और उदारीकरण के उपाय के रूप में रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से निर्णय लिया है कि भारतीय कंपनियों को स्वचालित मार्ग के अंतर्गत सहस्वामित्व आधार पर सबमेरीन केबल प्रणालियाँ तैयार करने और बनाए रखने के लिए अन्य अंतर्राष्ट्रीय परिचालनों के संघ में सहभागिता की अनुमति दी जाए। तदनुसार प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक यह सुनिश्चित करने के बाद कि भारतीय कंपनी ने अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी की सेवाओं की स्थापना, संस्थापन, परिचालन और कायम रखने का आवश्यक लाइसेंन्स प्राप्त कर लिया है तथा ऐसे निवेश के लिए अनुमोदन देने वाले बोर्ड के संकल्प की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर ली है, समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश के लिए भारतीय कंपनियों द्वारा विप्रेषणों की अनुमति दे सकते हैं। इन लेनदेनों की प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों के संघ में निवेश करनेवाले भारतीय संस्थाओं द्वारा रिपोर्ट की जाए और प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों द्वारा यूनिक पहचान संख्या के आबंटन के लिए रिज़र्व बैंक को इसकी रिपोर्ट की जाए।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

एसएलआर प्रतिभूतियों में निवेश

रिज़र्व बैंक ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को एसएलआर प्रतिभूतियों में उनके निवेश "दैनिक बाजार मूल्य पर अंकित करने" (मार्क टू मार्केट) संबंधी मानदण्ड से वित्तीय वर्ष 2008-09 तक दी गई छूट को और एक वर्ष अर्थात् वित्तीय वर्ष 2009-10 तक बढ़ा दिया है। तदनुसार, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिए एसएलआर प्रतिभूतियों में अपने समस्त निवेश संविभाग को बही मूल्य के आधार पर मूल्यन और प्रतिभूतियों की बकाया अवधि के लिए प्रिमियम के परिशोधन, यदि कोई हो, सहित "परिपक्वता तक धारित" (हेल्ड टू मेच्युरिटी) के अंतर्गत वर्गीकृत करने की स्वतंत्रता होगी।

चेक संग्रहण नीति

रिज़र्व बैंक ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सूचित किया है कि उनकी चेक संग्रहण नीति में, संग्रहण में हुए विलंब के लिए ब्याज भुगतान तथा स्थानीय/बाहरी लिखतों के संग्रहण हेतु समय-सीमा के पहलुओं के अलावा स्थानीय/बाहरी चेक के तत्काल क्रेडिट पर अनुदेश शामिल होने चाहिए। यह स्मरण होगा कि रिज़र्व बैंक ने फरवरी 2009 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सूचित किया था कि वे राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग द्वारा निर्धारित समय सीमा के अनुसार स्थानीय और बाहरी चेकों के संग्रहण के संबंध में अपनी चेक संग्रहण नीतियां तैयार करें।

बिना पूर्वभुगतान के डाक से भेजने के लिए लाइसेंस संख्या **MR/Tech/WPP-208/South/09-11** **Regd. No. MH/MR/South-29/2009-11**
प्रत्येक महीने कार्य दिवस के अंतिम दो दिन को मुंबई पत्रिका चॅनल छँटनी ऑफिस - GPO से प्रेषित

2010-11 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य

डॉ. डी. सुब्बाराव, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 20 अप्रैल 2010 को प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों मुख्य कार्यपालकों के साथ एक बैठक में वार्षिक नीति वक्तव्य 2010-11 प्रस्तुत किया। इसकी मुख्य-मुख्य बातें इस प्रकार हैं:

अनुमान

- वृद्धिगत आधार के साथ वर्ष 2010-11 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि 8.0 प्रतिशत अनुमानित की गई।
- मार्च 2011 के लिए थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआइ) मुद्रसस्फीति का आधारस्तरीय अनुमान 5.5 प्रतिशत रखा गया।
- वर्ष 2010-11 के लिए मुद्रा आपूर्ति (एम3) 17.0 प्रतिशत अनुमानित की गई।
- अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की सकल जमाराशियों के 18.0 प्रतिशत तक बढ़ने का अनुमान किया गया। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के गैर-खाद्य ऋण में वृद्धि 20.0 प्रतिशत अनुमानित की गई।

चुनौतियाँ

- अर्थव्यवस्था के सामने तात्कालिक चुनौतियाँ हैं (क) वैश्विक सुधार की गति और आकार के बारे में अनिश्चितता (ख) वैश्विक पण्य मूल्यों में वृद्धि मुद्रास्फीतिकारी दबाव को बढ़ावा देगी (ग) प्रतिकूल दक्षिण-पूर्व मानसून खाद्य मुद्रास्फीति को बढ़ावा देते समय राजकोषीय दबाव भी लाएगा तथा ग्रामीण उपभोक्ता और निवेश माँग में कमी लाएगा (ख) भारी पूँजी अंतर्वाह विनिमय दर और मौद्रिक प्रबंध के लिए चुनौती है (ङ) सरकारी उधार कार्यक्रम का समग्र आकार अभी भी बहुत बड़ा है तथा ब्याज दरों पर दबाव डाल सकता है।

रूझान

समग आकलन के आधार पर व्यापक रूप से वर्ष 2010-11 में मौद्रिक नीति का रुझान इस प्रकार होगा :

- समुचित रूप से तीव्र और प्रभावी ढंग से आगे निर्मित होनेवाले मुद्रास्फीतिकारी दबावों पर कार्रवाई की तैयारी करते समय मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं को रोक रखना।
- यह सुनिश्चित करने के लिए सक्रियता से चलनिधि का प्रबंध करना कि निजी और सार्वजनिक दोनो क्षेत्रों द्वारा ऋण के लिए माँग भी एक अबाधित तरीके से पूरी हो।
- मूल्य, उत्पादन और वित्तीय स्थिरता के अनुरूप एक ब्याज दर व्यवस्था कायम रखना।

मौद्रिक उपाय

- बैंक दर 6.0 प्रतिशत रखी गई।
- चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत रिपो दर में तत्काल प्रभाव से 25 आधार अंक की वृद्धि हुई है, अब यह 5.0 प्रतिशत से बढ़ कर 5.25 प्रतिशत हो गई है।
- चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत रिवर्स रिपो दर में तत्काल प्रभाव से 25 आधार अंक की वृद्धि हुई है, जो 3.5 प्रतिशत से बढ़ कर 3.75 प्रतिशत हो गई है।
- 24 अप्रैल 2010 से शुरु होने वाले पखवाड़े से अनुसूचित बैंको के नकदी प्रारक्षित अनुपात (सीआरआर) में 25 आधार अंक की वृद्धि हुई है, जो उनकी निवल माँग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के 5.75 प्रतिशत से बढ़ कर 6.00 प्रतिशत हो गई है।

विकासात्मक एवं विनियामक नीतियाँ

- 5 वर्षीय एवं 2 वर्षीय सांकेतिक कूपन वाली प्रतिभूतियों और 91 दिवसीय खज़ाना बिलों पर ब्याज दर फ्यूचर्स शुरू करना।
- जून 2010 के अंत तक जारी किए जानेवाले एक वर्ष से कम अवधि की परिपक्वता के गैर-परिवर्तनीय डिबेंचरों (एनसीडी) के निर्गम पर अंतिम दिशानिर्देश।
- मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों को निवासियों के लिए हाज़िर अमरीकी डॉलर/रुपया विनिमय दर पर सरल करेंसी आप्शन शुरू करने की अनुमति प्रदान करना।
- मूलभूत सुविधा गतिविधियों में शामिल कंपनियों द्वारा जारी तथा परिपक्वता के लिए धारित (एसटीएम) श्रेणी के अंतर्गत सात वर्षों की न्यूनतम अवशिष्ट परिपक्ता वाले गैर-एसएलआर बॉण्डों में बैंक अपने निवेशों का वर्गीकरण करें।
- जमा प्रमाणत्र एवं वाणिज्यिक पेपर (सीपी) में गौण द्वितीयक बाज़ार लेनदेनों हेतु रिपोर्टिंग मंच शुरू करना।
- समस्त ओटीसी ब्याज दर एवं फोरेक्स डेरिवेटिव लेनदेनों हेतु दक्ष, एकल-बिंदु रिपोर्टिंग प्रणाली के लिए तौर-तरीके निर्धारित करने हेतु कार्यदल गठित करना।
- बैंकों को अनुमति दी गई कि वे सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) संचालित करनेवालों सहित किसी भी व्यक्ति को कारोबारी संवाददाता के रूप में कार्य करने के लिए शामिल करें।
- वित्तीय समावेशन की बेहतर समझ को प्रोत्साहन देन हेतु आधार स्तर पर कार्यरत ग्रामीण सहकारी संस्थाओं के लिए कार्यदल गठित करना।
- नए शहरी सहकारी बैंकों को लाइसेंस प्रदान करने की उपयुक्तता के अध्ययन हेतु समिति गठित करना।
- सुप्रबंधित शहरी सहकारी बैंकों को वार्षिक कारोबारी योजना के माध्यम से अनुमोदन लिए बिना ही ऑफ-साइट एटीएम स्थापित करने की अनुमति देना।
- कुछ स्थितियों में सड़क/महामार्ग परियोजनाओं तथा चुंगी (टोल) वसूलने संबंधी अधिकार को बिल्ड आपरेट ट्रांस्फर माडल के अंतर्गत वार्षिकता को कतिपय शर्तों के अंतर्गत मूर्त प्रतिभूति माना जाए।
- विदेशी बैंकों की उपस्थिति के स्वरुप पर सितंबर 2010 तक चर्चा पेपर तैयार करना।
- नये बैंकिंग लाइसेंसों की संस्वीकृति पर व्यापक अभिमत और प्रतिसूचना के लिए जुलाई 2010 के अंत तक प्रस्तुत करने हेतु चर्चा पेपर तैयार करना।

अल्पना किल्लावाला द्वारा **भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग**, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित तथा **ऑनलुकर प्रेस,** 16, ससून डॉक, कुलाबा, मुंबई - 400 005 में मुद्रित।

ग्राहक नवीकरण तथा पते में परिवर्तन के लिए मुख्य महाप्रबंधक, संचार विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय भवन, 12वीं मंज़िल, फोर्ट, मुंबई 400 001 को लिखें। कृपया कोई मांग ड्राफ्ट/चेक न भेजें। मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू इंटरनेट www.mcir.rbi.org.in/hindi पर भी उपलब्ध है।